The Research Dialogue

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-1, Issue-4, January 2023
www.theresearchdialogue.com

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 – उत्तर प्रदेश में महिला शिक्षा की यथास्थिति एवं भावी संभावनाएं

सुरेखा यादव

रिसर्च स्कॉलर शिक्षा विभाग

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

ईमेल- kyadav428@gmail.com

सार **(Abstract):**

विश्व में महिलाएं कुल आबादी का आधा हिस्सा है और परिवार एवं राष्ट्र के विकास में उनका बहुत योगदान रहता है, लेकिन कोई भी राष्ट्र विकास की बात तब तक नहीं कर सकता है, जब तक उसकी आधी जनसंख्या अपनी पूर्णता को प्राप्त करने में विभिन्न प्रकार की सामाजिक एवं अर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही हो। मानव क्षमता की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए शिक्षा एक आधारभूत तत्व है और महिला शिक्षा एक लंबे समय से चली आ रही विश्वव्यापी समस्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा को एक प्रमुख उपकरण के रूप में मान्यता देती है, जो एक सशक्त राष्ट्र के लिये आवश्यक है, परन्तु इसके लिये वृहद स्तर पर परिवर्तन की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 34 वर्षों के बाद भारत की शिक्षा नीति में परिवर्तन लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनायी गयी है। यह नीति 3 वर्ष की बालिका से महिलाओं की प्रौढ़ शिक्षा तक के विविध आयामों पर बात करती है। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य विद्यालयों में 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100 प्रतिशत तथा उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 50 प्रतिशत करने के साथ शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अपने तरीके का पहला प्रावधान 'लिंग समावेशन कोष निधि' के गठन के द्वारा वंचित लड़कियों के लिए शिक्षा के समान अवसर एवं महिलाओं के लिए 'विशेष शिक्षा क्षेत्र' बनाने के रूप में किया गया है। इस नीति के विभिन्न लक्ष्यों से एक लक्ष्य, प्रसिद्ध महिलाओं के द्वारा नागरिकों के साथ सकारात्मक संवाद के माध्यम से महिलाओं व लड़कियों में नेतृत्व क्षमता के विकास को शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान देना है। यदि यह नीति अपने पूर्ण रूप में लागू हो जाती है। तो यह उच्च शिक्षा में महिलओं की भागीदारी को रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ाने, सभी स्तरों पर लिंग के आधार पर होने वाले अंतर को कम करने एवं लिंग समानता और

समावेशन को सुनिश्चित करेगी। प्रस्तुत अध्ययन में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों, निहितार्थों और चुनौतियों को प्रस्तुत किया गया है।

Key Words- राष्ट्रीय नीति 2020, महिला शिक्षा, महिला समावेशन कोष, विशिष्ट शिक्षा क्षेत्र

परिचय:

किसी भी राष्ट्र के विकास में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। कोई राष्ट्र तब तक पूर्ण विकसित नहीं हो सकता जब तक विकास में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित नहीं करता। महिलाएं परिवार में विभिन्न भूमिकायें जैसे– मां पत्नी एवं बहन तथा समाज में विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिकायें जैसे– डॉक्टर इंजीनियर व पॉलीटिशियन की भूमिका निभाती हैं। एक प्रसिद्ध कहावत, समाज में महिलाओं की शिक्षा के महत्व को बताती है यदि 'आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप सिर्फ एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक राष्ट्र को शिक्षित करते हैं' शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो समाज में महिलाओं और उनके परिवारों के लिए प्रगति का कारण बनता है। शिक्षित महिलाएं पुरुषों की तुलना में महिला शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह से समझ सकती हैं शिक्षा महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाती है एवं महत्वाकांक्षी महिलाओं का निर्माण करती है जिससे वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं और अपने खिलाफ हो रहे शोषण, भेदभाव या किसी अन्य प्रकार के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाती हैं। यदि किसी राष्ट्र की महिलाएं अशिक्षित और असमर्थ बनी रहती हैं तो उस राष्ट्र के लिये सतत विकास का लक्ष्य असंभव हो जाता है।

शिक्षा ही एक ऐसा उपकरण है जो समाज में व्याप्त बुराइयों एवं महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को समाप्त कर सकता है। समाज में हो रहे कन्या भ्रूण हत्या, देह व्यापार एवं अन्य सामाजिक रीति–रिवाजों व हानिकारक कुप्रथाओ को महिला शिक्षा के माध्यम से मिटाया जा सकता है। अतः प्रगति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समाज में महिलाओं को समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। शिक्षा को महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने वाले घटक के रूप में देखा जा रहा है। इसमें असमानताओं को दूर करने एवं महिलाओं के लिए समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने पर विशेष जोर दिया गया है एवं सभी के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित किये जाने संबंधी प्रावधान दिया गया हैं। नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (1997 से 2002) में लड़कियों की प्राथमिक से उच्च स्तर तक की शिक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा व व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। लेकिन अभी भी यह महसूस किया जा रहा है कि महिला शिक्षा के सभी महत्वपूर्ण पहलुओ पर क्रियान्वयन अभी शेष है।

वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में गठित''कस्तूरी रंगन समिति'' द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 बनाई गई और इस तरह नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत में 34 वर्षों के बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया। नई शिक्षा नीति में शिक्षार्थियों के समग्र एवं बहुआयामी विकास पर जोर दिया गया है इसमें 21वीं सदी की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षार्थियों के कौशल–विकास, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यसामग्री में कमी को दूर करने, न्यायसम्य, गुणवत्तापूर्ण, समान शिक्षण के अधिकार की मूलभूत जरूरतों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसकी लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। नई शिक्षा नीति के अनुसार 2030 तक स्कूली शिक्षा में लड़कियों के 100% सकल नामांकन अनुपात एवं 2035 तक उच्च शिक्षा में लड़कियों के 50% कुल नामांकन अनुपात का लक्ष्य रखा गया है और इस प्रकार इस नीति का लक्ष्य, भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाना है।

विद्यालय स्तर पर महिलाओं की संख्या को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयासों के प्रस्ताव इस नीति में दिया गया है, जिसमें लड़कियों की शिक्षा के लिए 'विशेष शिक्षा क्षेत्र' एवं 'लिंग समावेश कोष' बनाना भी शामिल है जो लड़कियां समाज के वंचित वर्ग से आती हैं उनके लिए छात्रवृत्ति एवं लिंग समावेशी कोष परियोजनाओं के द्वारा वित्तीय पोषण भी शामिल है और महिला नेतृत्व क्षमता में सुधार करने के लिए महिला प्रमुख संस्थानों के साथ सकारात्मक नागरिक संवाद बनाने रखने का सुझाव दिया गया है।

जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 67.68% थी जिसमें पुरुष साक्षरता दर 79.24% एवं महिला साक्षरता दर 59.26% है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात (912:1000) है जिसका अर्थ प्रति 1000 पुरुषों पर 912 महिलाए से हैं।

उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर में अभी सुधार की आवश्यकता है, जिससे लिंग संतुलन को प्राप्त किया जा सके। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देकर उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार किया जा सकता है। महिला साक्षरता न केवल सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है बल्कि सामाजिक परिवर्तन व प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिला साक्षरता एक प्रभावी माध्यम है जो महिलाओं को सशक्त बना सकता है। भारत सरकार ने शिक्षा के महत्व को महसूस करते हुए महिला शिक्षा पर जोर दिया और महिलाओं की साक्षरता में सुधार के उपायों को अपनाया है। उत्तर प्रदेश एक पुरुष प्रधान राज्य है, अतः यहां वांछनीय सामाजिक परिवर्तन लाने और सदियों पुरानी पारंपरिक भावनाओं और लोकाचार के विरुद्ध महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला साक्षरता एक महत्वपूर्ण विषय है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. महिला शिक्षा के महत्व का अध्ययन करना
2. उत्तर प्रदेश के संदर्भ में महिला शिक्षा के महत्व का अध्ययन करना।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिला शिक्षा के लिए दिये गये प्रावधानों का अध्ययन करना।
4. उत्तर प्रदेश में महिला शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निहितार्थ और चुनौतियों का अध्ययन करना।
5. महिला शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निहित सुझावों को सामने रखना।

भारत में महिला शिक्षा की स्थिति

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, जब 1947 में भारत को आजादी मिली उस वक्त हमारे देश में महिला साक्षरता केवल 8.6% थी, जोकि अत्यंत शर्मनाक आंकड़ा था। कई वर्षों तक महिला साक्षरता भारतीय समाज के रूढ़िवादी सोच की भेंट चढ़ती रही, परिणाम स्वरूप देश की अधिकांश महिलाएं घर परिवार की देख–रेख करने तक ही सीमित रह गई। हालांकि आधुनिक समय में महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं एवं समाज ने भी महिलाओं के अधिकार एवं राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका के महत्व को समझा है। परंतु अभी भी महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा के अवसर नहीं मिल रहे हैं, इसकी पुष्टि जनगणना 2011 के आंकड़ों से होती है जिसके अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 73% है, जिसमें महिला साक्षरता मात्र 65.5% एवं पुरुष साक्षरता दर 82.14% है, अर्थात महिला एवं पुरुष साक्षरता दर के मध्य 16.68%

का अंतर है। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के किए गए प्रयासों से इंकार नहीं किया जा सकता है। 1951 से 2011 तक साक्षरता दर में लगातार वृद्धि तालिका संख्या 1 के आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता में 58.16% की वृद्धि को स्पष्ट देखा जा सकता है।

तालिका संख्या 1

महिला एवं पुरुष साक्षरता दर वर्ष 1951 से 2011 तक

वर्ष	महिला	पुरूष
1951	7.3	24.9
1961	13.0	34.4
1971	18.7	39.5
1981	24.8	46.9
1991	39.2	63.9
2001	54.0	76.0
2011	65.46	82.14

स्त्रोतः- Census Report of India 2011 (Web Site: http://censusindia.gov.in)

ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग अंतर शहरी क्षेत्रों से अधिक होने के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिला साक्षरता दर अत्यंत कम है। ग्रामीण महिला साक्षरता दर केवल 57% है, जब कि ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर 77% है। हालांकि अखिल भारतीय उच्चशिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018–19 के अनुसार सरकार द्वारा नए नीतिगत हस्तक्षेपो के बाद देश में लिंग अंतर पिछले वर्षो की तुलना में कम हो गया है। फिर भी उच्च शिक्षा में महिला छात्रों की संख्या पुरुष छात्रों की तुलना में लगभग आधी ही है, उपरोक्त आंकड़े दर्शाते है कि महिला शिक्षा में लगातार बढ़ोतरी के बाद भी महिला साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी एक लंबा रास्ता तय करना शेष है। महिलाओं को शिक्षित करने से न केवल समाज में फैली सामाजिक बुराइयों जैसे कन्या भ्रुण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह एवं महिला उत्पीड़न को खत्म करने में मदद मिलेगी बल्कि भविष्य की पीढ़ियां एक ऐसे समाज में रहेंगी जहां लैंगिक समानता होगी। शिक्षित महिलाएं पारिवारिक दायित्वों के साथ सामाजिक उन्नति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे सामाजिक जीवन स्तर में सुधार के साथ अंततः राष्ट्र की प्रगति के रूप में प्रतिबिंबित होता है।

सरकार ने विगत वर्षों में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं जैसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय महिला कोष व महिला शक्ति केंद्र आदि की शुरुआत की है। केंद्र एवं राज्य सरकारों को विभिन्न संस्थानों के साथ मिलकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों को आयोजित करना होगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षा की पहुंच समाज की सभी वर्ग व सभी स्तर की महिलाओं तक हो सके।

उत्तर प्रदेश में महिला शिक्षा

पिछले कुछ दशकों में महिला शिक्षा के लिए किए गए निरंतर प्रयासो का परिणाम अब उत्तर प्रदेश में दिखाने लगे हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में 27 राज्य विद्यालयों एवं 7391 डिग्री कॉलेजों में शिक्षण सत्र 2020–21 में 62.95% महिला विद्यार्थी एवं 37% पुरुष विद्यार्थी हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 वर्षों में उच्च शिक्षा के लिए नामांकन कराने वाली लड़कियों की संख्या में 13% की वृद्धि हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार स्कूल स्तर पर भी लड़कियों की नामांकन संख्या में वृद्धि हुई है। पिछले तीन दशकों में उत्तर प्रदेश बोर्ड की दसवीं कक्षा की परीक्षा के लिए पंजीकरण करने वाली लड़कियों की संख्या दोगुनी हो गई है।

तालिका संख्या 2

उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा में पंजीकृत छात्रों की संख्या

वर्ष	कुल छात्र	लड़कियाँ	लड़कें
1991	17,75,602	3,71,083 (20.89%)	14,04,519 (79.10%)
1992	29,94,312	13,20,290 (44.09%)	16,74,022 (55.90%)

स्त्रोतः- www.hindustantimes.com

उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं अब जागरूक हो चुकी हैं। वह अपनी अज्ञानता की बेड़ियों को तोड़कर समाज में अपने लिए उचित स्थान बनाना चाहती हैं। सदियों से भारत एक पुरुष प्रधान समाज रहा है, जहां महिलाओं को विभिन्न रीति–रिवाजों और परंपराओं के कारण शैक्षिक अधिकारों से वंचित रखा गया है, परिणाम स्वरूप परिवार एवं बच्चों की देखभाल करने के लिए उन्हें घर की चारदीवारी में मजबूरन रहना पड़ा। अब समय बदल गया है, वैश्वीकरण एवं शिक्षा के सर्वाभौमिकरण के बाद महिलाएं घर की चारदीवारी के बाहर भी सक्रिय भूमिका में नजर आने लगी है। अब उन्हें मुख्य धारा का अहम हिस्सा माना जाने लगा है। अब उत्तर प्रदेश में महिलाएं एक सफल उद्यमी, सामाजिक कार्य कर्ता, मजिस्ट्रेट जज एवं पुलिस अधिकारी आदि रूप में नजर आने लगी हैं।

तालिका संख्या 3

जनगणना 2011 की आधार पर उत्तर प्रदेश एवं भारत की साक्षरता दर

महिला/पुरूष	उ0प्र0	भारत
महिला	57.18%	64.63%
पुरूष	77.28%	80.88%
कुल	67.68%	72.98%

तालिका संख्या 3 के उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर अभी भी भारत की कुल साक्षरता दर से काफी कम है तथा महिला एवं पुरुष साक्षरता दर भी भारत की कुल महिला एवं पुरुष साक्षरता दर से काफी कम हैं।

तालिका संख्या 4

1991 से 2011 तक उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर एवं लिंगानुपात

साक्षरता/ लिंगानुपात/वर्ष	2011	2001	1991
कुल साक्षरता	67.68%	56.27%	41.71%
महिला साक्षरता	57.18%	42.22%	26.02%
पुरूष साक्षता	77.28%	68.82%	55.35%
लिंगानुपात	912	898	882

तालिका संख्या 4 के उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि 1991 से 2011 तक के अवधि में उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर एवं महिला साक्षरता दर में सुधार हुआ है। इस तालिका से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि कुल साक्षरता दर एवं महिला में सुधार के साथ ही प्रदेश में लिंगानुपात का अंतर भी कम हो रहा है। हालांकि राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों जैसे– आई आई टी (IIT), आई आई एम (IIM), ए आई आई एम एस (AIIMS), एन आईटी (NIT) आदि में महिला छात्रों की संख्या पुरूष छात्रों की तुलना में कम है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में महिला शिक्षा के प्रावधान

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राज्य और स्थानीय सामुदायिक संगठनों की भागीदारी के साथ शिक्षा में लैंगिक समानता प्राप्त किया जाना एवं लिंग को क्रास–कटिंग प्राथमिकता के तौर पर अपनाये जाने का प्रावधान किया गया है। इस नीति में यह कल्पना की गई कि 2030 तक स्कूलों में लड़कियों का शत–प्रतिशत नामांकन एवं 2035 तक उच्च शिक्षा में लड़कियों का 50 प्रतिशत तक नामांकन सुनिश्चित कर लिंगानुपात के अंतर को कम करने की कोशिश की जाएगी एवं सकारात्मक नागरिक संवाद के माध्यम से लड़कियों के नेतृत्व क्षमता में सुधार किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लिंग समावेशन कोष (Gender inclusion fund) की स्थापना की सिफारिश की गई है, जिससे लड़कियों को समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। निधि की व्याख्या करते हुए नीति में कहा गया है कि यह दो निधि धाराओं को अधिकृत करेगा–फार्मूला आधारित एवं विवेकाधीन अनुदान। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता को लागू करने के लिए राज्यों को फार्मूला अनुदान उपलब्ध होगा, जिससे छात्राओं के महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे शौचालय स्वास्थ्य, स्वच्छता, माहवारी (Period) आदि समस्याओ को हल किया जा सके और शिक्षा तक उनकी पहुंच को आसान बनाया जा सके। इसमें सशर्त नगद हस्तांतरण आदि का भी प्रावधान है। दूसरा घटक विवेकाधीन कोष राज्यों को प्रभावी समुदाय आधारित हस्तक्षेपो का समर्थन करने और उन्हें बढ़ाने में सक्षम बनाएगा, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक छात्राओं की पहुंच के लिए स्थानीय एवं संदर्भ विशिष्ट बाधाओं से संबंधित होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने सामाजिक और आर्थिक रुप से वंचित समुदायों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र (Special Education Zones) की सिफारिश की है, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक रुप से अक्षम एवं वंचित लोग शामिल होंगे। यह भी अनुशंसा की गई है कि देश के शैक्षिक रूप से वंचित बड़ी आबादी वाले क्षेत्र को विशेष क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। इसमें सामाजिक एवं आर्थिक रुप से वंचित छात्रों को निर्धारित छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्वको बढ़ावा देने पर भी जोर देती है और साथ ही सशक्त महिलाओं को प्रेरणा स्रोत बनाकर छात्राओं को नियमित स्कूल आने के लिए प्रेरित करने का कार्य करने का सुझाव देती है। महिला शिक्षिकाओं के लिए शिशु गृह की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संशोधन मातृत्व लाभ अधिनियम को लागू करने का सुझाव भी नीति में है। बच्चों की शिक्षा में महिलाओं की अग्रणी भूमिका के लिए कुछ क्षेत्रों में पहल करने का सुझाव है, जैसे नेतृत्व विकास प्रोत्साहन कार्यक्रम, शिक्षक शिक्षा, भर्ती आदि। नीति में शिक्षा और योग्यता से समझौता किए बिना, अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं के बीच लिंगानुपात को संतुलित करने के लिए विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षकों की भर्ती किए जाने का भी सुझाव है। इस नीति में विद्यालय परिसर के अंदर एवं बाहर, विद्यालय जाने वाली लड़कियों की सुरक्षा की व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया है।

सभी शैक्षणिक संस्थानों को लैंगिक मुद्दों पर जागरूक करने के लिए जागरूकता सत्र आयोजित करना अनिवार्य किया जाएगा, जिससे रूढ़िवादी लिंग आधारित अवधारणाओं को तोड़ा जा सके, महिला उत्पीड़न मुक्त वातावरण का निर्माण किया जा सके, समान व्यवहार के साथ महिलाओं की कानूनी सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके। मातृत्व लाभ अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (Protection of children from sexual offences Act

"POCSO") महिलाओं का कार्यस्थल पर उत्पीड़न अधिनियम की जागरूकता एक संवेदन शील एवं समावेशी कक्षा प्रबंधन के लिए आवश्यक किया गया है।

उत्तर प्रदेश में महिला शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निहितार्थ और चुनौतियां

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक व्यावहारिक, प्रगतिशील, दूरदर्शी एवं अत्यंत व्यापक नीति है। इसमें रचनात्मकता एवं नवाचार शामिल है। इस नीति में रटने एवं अंक प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा के स्थान पर, प्रत्येक छात्र एवं छात्रा के व्यक्तित्व विकास पर जोर दिया गया है। परंतु किसी भी नए विकास के मार्ग में चुनौतिया निश्चित रूप से आती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा प्रणाली में लिंगानुपात को संतुलित करने के लिए वित्त संबंधी कई प्रावधान रखे हैं। यह सकल घरेलू उत्पाद के 4.6% से वृद्धि करके 6% तक शिक्षा क्षेत्र में खर्च करने का उल्लेख करती है। जो लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के बराबर है, यह एक बड़ा कदम है, कोविड के कारण अर्थव्यवस्था पर बुरा असर हुआ है और अब शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। नीति ने शिक्षा में निजी भागीदारी का प्रावधान दिया है, जहां कई स्कूलों का निजीकरण हो जाएगा, जिससे उनकी फीस महंगी हो सकती है, जिसके कारण ये कम आय वाले परिवारों की पहुंच से दूर हो जाएंगे, जो मुख्य रूप से बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करेंगे। नई शिक्षा नीति में बालिकाओं के लिए यौन शिक्षा के साथ–साथ स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी चिंताओं का उल्लेख नहीं किया गया है जो एक प्रमुख चिंता का विषय है।

नई शिक्षा नीति ने शैक्षणिक संरचना को परिभाषित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। जिसमें परिवर्तन के लिए शिक्षकों द्वारा मुख्य भूमिका निभाई जाती है। इसके लिए निरंतर प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी तथा परिवर्तन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को लिंग तटस्थ पाठ्यक्रम में संशोधित करना होगा। शिक्षकों को सिखाने की सामग्री पर पुनर्विचार करके उसे संशोधित करना होगा, जो एक कठिन कार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शिक्षकों द्वारा भूमिका निर्वहन के लिए उच्च कोटि के निष्पादन स्तर को प्राप्त करने के लिए मानकों का निर्धारण करने पर ध्यान केंद्रित करती है। डिजिटल अधिगम प्रक्रिया के साथ तारतम्यता बनाये रखने के लिए शिक्षकों को डिजिटल प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसको प्राप्त करने में पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं, प्रशिक्षण देने के लिए योग्य प्रशिक्षक और सामंजस्य बनाये रखना बड़ी चुनौतियाँ हैं।

भाषा एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि भारत में सक्रिय रूप से प्रयोग में आने वाली 22 भाषाएं हैं। अनेकों अलग–अलग बोलिया है, इसके लिए मातृभाषा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को लागू करने, अध्ययन सामग्री जुटाने व इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सक्षम शिक्षकों की उपलब्धता आदि की चुनौतियां है। इसके अतिरिक्त अन्य जिस बिन्दु पर जोर दिया गया है वह शिक्षा में तकनीकी के प्रयोग से गुणवत्ता के स्तर को और ऊचाँ उठाना है, जिसके लिए मजबूत डिजिटल आधारभूत संरचना एक बड़ी चुनौती है। अधिकांश छात्रों की ऐसी तकनीकी व यंत्रों तक पहुँच नहीं है। डिजिटल आधारभूत संरचना जैसे–डिजिटल क्लासरूम, विशेषज्ञता आधारित शिक्षण प्रतिमान, ए0आर0/वी0आर0 उपकरण के प्रयोग के लिए अच्छे इन्टरनेट की उपलब्धता आवश्यक होती है, जो कि एक बड़ी चुनौती है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिनमें छात्राओं के विद्यालय छोड़ने का प्रतिशत भी अधिक है। इस नई प्रणाली से एक प्रकार का डिजिटल वर्गीकरण हो सकता है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को अधिक हानि होगी।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कार्यस्थल पर प्रयोगात्मक अनुभव प्रदान करने के लिए विद्यालयों में व्यवसायिक प्रशिक्षण को शामिल करने का सुझाव दिया है, परन्तु व्यवसायिक विषयों का चयन करने के लिए आधारभूत भौतिक संरचना और शिक्षकों की उपलब्धि संबंधी चुनौतियां हैं। इसके साथ ही विद्यालय स्तर पर इंटर्नशिप को लाना बालश्रम को बढ़ावा देगा। देश की नकारात्मक राजनीति के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की कमी, एक बड़ी चुनौती है। राज्य भी इस कमी को झेल रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या सरकार इस स्थिति में है कि इतनी अधिक संख्या में शिक्षकों की भर्ती कर सके जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रभावी रूप से क्रियान्वित हो सके।

क्रियान्वन के लिए सुझाव

शिक्षा प्रणाली का यह उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा जन्म या पृष्ठभूमि के आधार पर सीखने और श्रेष्ठ होने का कोई अवसर न गवाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लिंग संबंधित आधारभूत मुद्दों को अच्छे से उठाती है। शिक्षा नीति 2020, शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा देने की बात करती है, जो महिलाओं के विचारों को अधिक गतिशीलता देगा साथ ही अधिक अवसरों की उपलब्धता के लिए आधार प्रदान करेगा।

इस शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के प्रावधान की बात कही गई है, जोकि लिंग को सम्मिलित किए है। इसमें लड़कियों की, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों की पहचान की जाती है और इन्हें विद्यालय में बनाए रखने के लिए इस सुविधा तक पहुंचने के लिए सक्षम बनाया जाता है। माता पिता की काम आय के कारण वे शिक्षा से वंचित नहीं होने चाहिए। इसके लिए निर्धारित छात्र वृत्ति को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। साथ ही ऐसे छात्रों तक इसकी पहुंच को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिसको इसकी आवश्यकता है, जिससे छात्रा अपने अध्ययन को जारी रख सके।

21वीं सदी के अनुरूप, सक्षम लोगो के निर्माण के लिए विशेष रणनीति बनाई जाए। जिस से नीति में सम्मिलित व्यवसायिक शिक्षा के प्रावधान को पूरा किया जा सके। राज्यों के संसाधनों को ध्यान में रख कर स्थानीय महिलाओं की आवश्यकताओं के अनुसार रणनीतियां बनायी जाना चाहिए। यौन शिक्षा के मुद्दों को पाठ्यक्रम में शामिल करने की आवश्यकता है। बहुत सी महिलाएं जो बाल विवाह और अनचाहे गर्भ का शिकार होने के कारण शिक्षा से वंचित हैं, के लिए यौन शिक्षा उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में क्रांतिकारी सुधार ला सकती है। इस मुद्दे पर लड़की तथा लड़का दोनों को समान रूप से शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। विद्यालय छोड़ने वाली लड़कियों के प्रतिशत को कम करने के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और सक्रिय शौचालयों की आधारभूत संरचना को उपलब्ध करना आवश्यक है। क्योंकि व्यक्तिगत सुरक्षा उनके लिए विद्यालय छोड़ने का प्रमुख कारण बन जाती है।

इस नीति का उद्देश्य नागरिक संवाद के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व क्षमता में बढ़ोतरी करना है। अतः यही सही समय है जब महिलाओं को उनकी क्षमताओं के अनुसार उचित व योग्य स्थानों हेतु वरीयता दी जाए। विद्यालय में लड़कियों की निर्णय क्षमता में वृद्धि हेतु प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे उन्हें अपनी सुरक्षा तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रावधानित अधिकारों के प्रति और अधिक जागरूक किया जा सके।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन ला रही है क्योंकि यह शिक्षा को और अधिक सुलभ, न्याय संगत और समावेशी बनाने पर केंद्रित है यह नीति शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी के प्रमुख कौशलों को प्राप्त करने के लिए व गुणवत्ता पूर्ण बनाने के दृष्टिकोण से बनायी गयी है। इस नई शिक्षा नीति में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लैंगिक रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए कई अनुकूल प्रावधान किए हैं। उत्तर प्रदेश पितृ–सत्तात्मक समाज होने के कारण कई वर्षों तक महिलाओं को शिक्षा के अधिकार देने में पीछे रहा है, हालांकि गत वर्षो में इसमें काफी सुधार हुआ है। 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने की आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ उनके सर्वांगीण विकास से लिया जाना चाहिए, न कि केवल लिंग–भेद को समाप्त करने से, जिसके लिए शिक्षा एक मजबूत आधार है। यह नीति अंधेरे में एक किरण के समान है, जिसके द्वारा राज्य और स्थानीय सरकारों के माध्यम से महिलाओं को और अधिक सक्षम अवसरों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने, लिंग भेद को मिटाने के लिए नीति निर्धारण करती है। नई शिक्षा नीति यदि सही रणनीति और कार्य प्रणाली के साथ लागू की जाती है तो इससे महिला साक्षरता दर सुधारने में पर्याप्त सहायता मिलेगी तथा महिलाओं के चौमुखी विकास में गति मिलेगी, जिसको सही रूप में लागू करके ही प्राप्त किया जा सकता है।

References

- बेलोक, माइकल वी. (2006). महिलाः एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य।
- चौधरी, पी.के. (2015) भारत, एशिया में शिशु मृत्यु दर में क्षेत्रीय विविधताओं में माता–पिता की शिक्षा की भूमिका की व्याख्या. 2(3), 544–572
- कांतम्मा, के. (1990). शिक्षा, रोजगार और विवाह के संबंध में महिलाओं की स्थिति।
- Buch, M. B. 5th Survey of Research in Education.
- Das, J. (2019). Present Status of Women Education in India, Adalaya Journal, 8 (8)
- Kiba, Y. I. & Joseph, S. (2022). NEP 2020 – Women Education-Its Provisions, Implications and Challenges with Special Reference to Nagaland, Global Journal of Applied Engineering in Computer Science and Mathematics (GJAECSMA)-Special Edition retrived from Global Journal of Applied Engineering in Computer Science and Mathematics (GJAECSMA) – Special Edition
- King, E. & Winthrop, R. (2015). International Journal of Research in Economics and Social Sciences (IJRESS), 6 (7)
- Kumar, J. & Sangeeta (2013). Status of Women Education in India. Educationia Confab. 2(4); PP. 165-176

- Sahoo. S. (2016). Girls' education in india: status and challenges, International Journal of Research in Economics and Social Sciences (IJRESS), 6 (7), pp. 130~141, Retrieved from http://euroasiapub.org
- Sarma, P. D & Sahidullah, F. T. (2013), Emerging issues and education, 1st edition, Tushar Publishing House, Dibrugarh. Pp 80-82. Retrieved fromhttps://www.researchgate.net
- Shali, S. K. (2018). Issues and Challenges of Women Empowerment in India, IJCRT. Volume 6, Issue 2, pp 179- 188.
- Terangpi, A. L. (2014). Educational Status and Problems of Karbi Women in Karbi
- Thomas, S. & Pandya, R. S. (2016). Education and the Gender Debate

Web sources

- Devex.com/news/examining-india-s-new-education-policy-through-a-gender-lense-98007
- http://unicef.in/CkEditor/ck_Uploaded_Images/img_1364.pdf
- http://www.mospi.gov.in/sites/default/files/reports_and_publication/statistical_publication/social_statistics/Chapter_3.pdf
- https://byjusexamprep.com/uttar-pradesh-ki-saksharata-dar-kya-hai-i
- https://censusindia.gov.in/
- https://dhsprogram.com/pubs/pdf/OF31/India_National_FactSheet.pdf
- https://em.m.wikipedia.org/wiki/literacy-in-india
- https://hindustantimes.com.
- https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports
- https://www.collegesearch.in/articles/womens-education
- https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
- https://www.womenalliance.org/category/news/
- https://www.youthkiawaz.com
- interviewtimes.net/nep-2020-a-new-dawn-for-gender-inclusive
- mainstreamweekly.net/article9983.html
- newindiaexpress.com/nation/2019/jul18/draft-nep-advocates-gender-inclusion-fund-2005445.html
- Translate.goog/cities/lucknow-news/womenstudents-now-for-outnumber-men-in-uttarpradesh-college-universites-says-high-education-department-report-101630263161290.html

THE RESEARCH DIALOGUE

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-1, Issue-4, January 2023
www.theresearchdialogue.com
Certificate Number-January-2023/24

Certificate Of Publication

This Certificate is proudly presented to

सुरेखा यादव

For publication of research paper title

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 – उत्तर प्रदेश में महिला शिक्षा की यथास्थिति एवं भावी संभावनाएं

Published in 'The Research Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X, Volume-01, Issue-04, Month January, Year-2023.

Dr.Neeraj Yadav
Executive Chief Editor

Dr.Lohans Kumar Kalyani
Editor-in-chief

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at www.theresearchdialogue.com